



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/3843

दिनांक:- 28/02/2023

कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की 04/2023 वीं बैठक दिनांक 27.02.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है। बैठक के दौरान जोन-6 के प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये।

एजेण्डा संख्या 01 :-

विषय:- भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की जोन-06 की 03/2023 वीं बैठक दिनांक 31.01.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय:- समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत गत बैठकों के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 02 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	आंगणवा	160/1, 160/2	07.07.10 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री बद्रीनारायण पुत्र श्री माणकलाल, श्रीमती गीता पत्नी श्री आसुलाल, श्री नारायणलाल राखेचा पुत्र श्री किशन, श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री भगवानराम, श्री प्रेमराम पुत्र श्री देवीलाल, श्री दिकेश दैया पुत्र श्री मोतीलाल, श्री राजेन्द्र दैया पुत्र श्री परमसुख, गायत्री दहिया पुत्री श्री अचलाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 160/1, 160/2 रकबा 07.07.10 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि एवम् प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित खसरा संख्या 158, 158/2 के मध्य खसरा संख्या 159 का प्रकरण भी समिति के समक्ष एजेण्डा संख्या 19 पर प्रस्तुत किया जाकर अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया है जिससे आवेदित भूमि को 12 मीटर पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। अतः जोन स्तर पर उक्त 12 मीटर सड़क मार्गाधिकार उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।				

7.	नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
8.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
9.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 10 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	दईजर	145 / 14	12.01.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती भानु दयानी पत्नी श्री महेश कुमार, श्री देवेन्द्र कुमार भण्डारी पुत्र श्री गणपतमल भण्डारी, श्रीमती संतोष भाटी पत्नी श्री नरेश भाटी, श्रीमती शोभा झंवर पत्नी श्री अनिल झंवर, श्रीमती सुमन झंवर पत्नी श्री गोपाल सिंह, K.M.C.C Power Renewable Private Limited				
विषय:-	राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 145 / 14 रकबा 12.01.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 12 मीटर सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावे। 3. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावे। 5. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे। 6. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।				

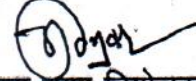
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 11 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
27.02.2023	जोन-6	विनायकपुरा	651/2, 651/4	3.8266 हेक्टेयर	मुख्यमंत्री जन आवास योजना (प्रावधान 3-बी) के तहत
आवेदक	श्री मोहनराम पुत्र श्री तिलोकराम, श्री किसनाराम पुत्र श्री धर्मराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम विनायकपुरा के खसरा संख्या 651/2, 651/4 रकबा 3.8266 हेक्टेयर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना (प्रावधान 3-बी) के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण को राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु अभिशंका के साथ प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को पूर्व में खसरा संख्या 652/48 से 652/52 की अनुमोदित योजना में स्थित भूखण्ड संख्या 145 में से आवेदक द्वारा पहुँच मार्ग हेतु समर्पित 09 मीटर सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जाएँ। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जाएँ। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.09.2022 को जारी अधिसूचना-अनुसार प्रकरण में राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जाएँ। 3. प्रस्तुत मानचित्र अनुसार खसरा संख्या 652/48 से 652/52 की अनुमोदित योजना में स्थित भूखण्ड संख्या 145 में से आवेदक द्वारा 9 मीटर सड़क मार्गाधिकार पहुँच मार्ग हेतु समर्पित किया गया है। अतः उक्त के संबंध में जोन स्तर से आपत्ति आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही की जाएँ। 4. खसरा संख्या 652/48 से 652/52 की अनुमोदित योजना में स्थित भूखण्ड संख्या 145 के नियमानुसार संशाधित पट्टा विलेख जारी किये जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। 5. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जाएँ। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.09.2022 को जारी अधिसूचना अनुसार योजना में सृजित भूखण्डों का भविष्य में संयुक्तिकरण/उप-विभाजन नहीं किया जाएँ। उक्त की सुनिश्चितता हेतु प्रत्येक भूखण्ड के पट्टा विलेख में उक्त शर्त का अंकन किये जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। 7. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जाएँ एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जाएँ। 8. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जाएँ। 9. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत				

निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत योजना प्रशासन शहरों के संग अभियान जोनल लेवल समिति की बैठक दिनांक 07.11.2022 में अनुमोदित की जा चुकी है। आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित सडक मार्गाधिकार को 18 मीटर निर्धारित करते हुए जोन उपायुक्त द्वारा लोक सूचना का प्रकाशन किया जा चुका है जिसमें निर्धारित समय अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना के अनुसार जोनल लेवल समिति द्वारा सडक मार्गाधिकार के संबंध में लिये गए निर्णय को समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।
----------	---

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/3844-49 दिनांक:- 28/02/2023

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
03. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
04. उपायुक्त (जोन-6), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
05. सहायक नगर नियोजक (प्रथम/द्वितीय), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
06. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-"1"

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की 04/2023 वीं बैठक दिनांक 27.02.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री श्रवण विश्वा, उपायुक्त (जोन-6) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |
| 7. प्रियंका चौपडा, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | |
| 8. श्री दयाल सिंह राजपुरोहित, भू-अभिलेख निरीक्षक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | |

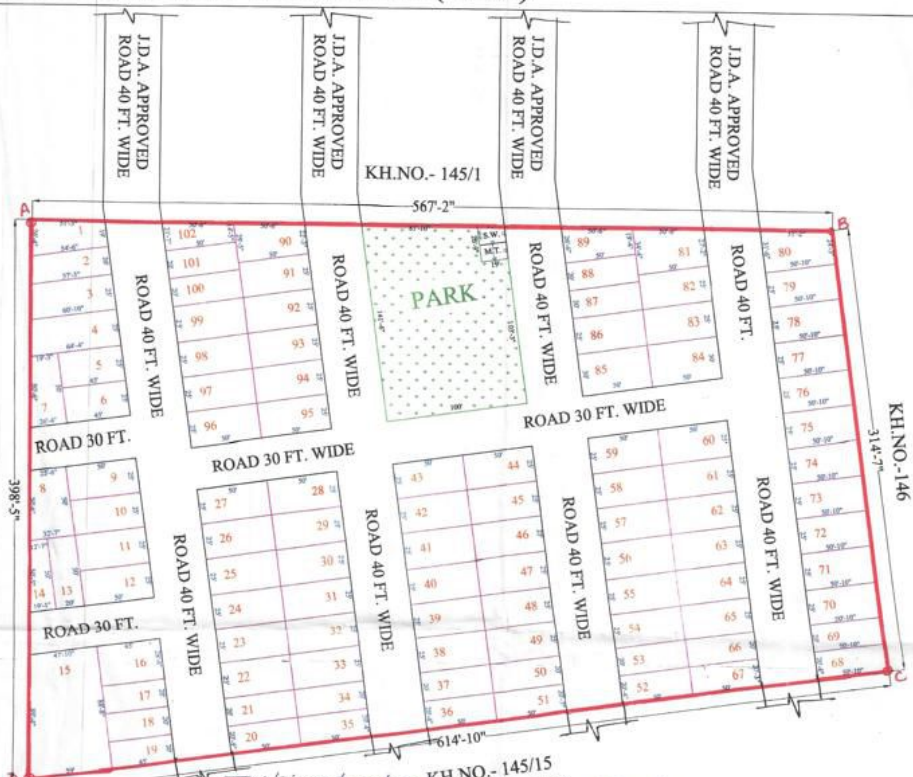
उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

[illegible]

PNO.	AREA SQ. FT.	AREA YDS.
1	1250.00	138.00
2	1111.25	123.00
3	1111.25	123.00
4	1500.00	175.00
5	1250.00	138.00
6	1175.00	129.00
7	1457.50	123.00
8	1250.00	138.00
9	1250.00	138.00
10	1250.00	138.00
11	1250.00	138.00
12	1250.00	138.00
13	1250.00	138.00
14	750.00	89.25
15	1250.00	138.00
16	1250.00	138.00
17	1250.00	138.00
18	900.00	103.50
19	900.00	103.50
20	1250.00	138.00
21	1250.00	138.00
22	1250.00	138.00
23	1250.00	138.00
24	1250.00	138.00
25	1250.00	138.00
26	1250.00	138.00
27	1250.00	138.00
28	1250.00	138.00
29	1250.00	138.00
30	1250.00	138.00
31	1250.00	138.00
32	1250.00	138.00
33	1250.00	138.00
34	1250.00	138.00
35	1250.00	138.00
36	1081.15	121.25
37	1081.15	121.25
38	1250.00	138.00
39	1250.00	138.00
40	1250.00	138.00
41	1250.00	138.00
42	1250.00	138.00
43	1250.00	138.00
44	1250.00	138.00
45	1250.00	138.00
46	1250.00	138.00
47	1250.00	138.00
48	1250.00	138.00
49	1250.00	138.00
50	1250.00	138.00
51	1035.12	115.00
52	1035.12	115.00
53	1250.00	138.00
54	1250.00	138.00
55	1250.00	138.00
56	1250.00	138.00
57	1250.00	138.00
58	1250.00	138.00
59	1250.00	138.00
60	1250.00	138.00
61	1250.00	138.00
62	1250.00	138.00
63	1250.00	138.00
64	1250.00	138.00
65	1250.00	138.00
66	1250.00	138.00
67	1035.12	112.25
68	1035.12	112.25
69	1250.00	138.00
70	1250.00	138.00
71	1250.00	138.00
72	1250.00	138.00
73	1250.00	138.00
74	1250.00	138.00
75	1250.00	138.00
76	1250.00	138.00
77	1250.00	138.00
78	1250.00	138.00
79	1250.00	138.00
80	1250.00	138.00
81	1250.00	138.00
82	1250.00	138.00
83	1250.00	138.00
84	1250.00	138.00
85	1250.00	138.00
86	1250.00	138.00
87	1250.00	138.00
88	1250.00	138.00
89	1250.00	138.00
90	1250.00	138.00
91	1250.00	138.00
92	1250.00	138.00
93	1250.00	138.00
94	1250.00	138.00
95	1250.00	138.00
96	1250.00	138.00
97	1250.00	138.00
98	1250.00	138.00
99	1250.00	138.00
100	1000.00	111.11
101	1000.00	111.11
102	905.25	102.50

दिनांक 10.11.22 को सुपरस्ट्रॉन्ग
फ्लान से प्रस्तुत प्लान की सीमाओं का
मिलान कर लाल प्वाले से मार्क A से D
किया गया।

[illegible]

अनुमति प्रदान की है।

 12/3/23 सहायक नगर विकास अधिकारी शोधपुर विकास प्राधिकरण शोधपुर	 12/3/23 उप नगर विकास अधिकारी शोधपुर विकास प्राधिकरण शोधपुर	 समाप्त (पान 6) शोधपुर विकास प्राधिकरण शोधपुर
---	--	---

NOTE:-

FOR MONEY PAIDED RECEIVABLE PVT. LTD.

DIRECTOR

(D.K. Bhadani)

20/11/2017

Bhadani

श्रीमान

AREA ANALYSIS:-				
S.NO.	AREA	SQ. FT.	SQ. MTR.	%
1.	RESIDENTIAL	125835.73	11690.53	59.93
2.	PARK	12957.46	1203.79	6.17
3.	SWM/MT	48.81	44.76	0.23
4.	ROAD	70685.00	6566.86	33.67
TOTAL		209960.00	19505.94	100.00

ARCHITECT SEAL & SIGN.:-

23 10 2018



MAHADEV SURVEY SERVICE
(A TOTAL SURVEYING SOLUTION)

Office :
3/11 NEAR APEX SCHOOL, KUDI BAGTASNI
HOUSING BOARD, JODHPUR (RAJ.)

CONTACT. - (M)9782438267 (M) 7742260990
E-MAIL : mahadevysurveyorservice@gmail.com

E-MAIL : mahadevsurveyservice@gmail.com



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001
email- jda@jodhpur.org वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265615-7 Fax 021-2612086

क्रमांक :- एफ49/90-क/जोन-06/2024/

दिनांक :- / /2025

भानु दयानी पत्नि श्री महेश कुमार, शोभा झंवर पत्नि श्री अनिल झंवर, सुमन कंवर पत्नि श्री गोपालसिंह, संतोष पत्नि श्री नरेश भाटी, देवेन्द्र कुमार भण्डारी पुत्र श्री गणपत राम **KMCC POWER REN. PRI. LTD.**

विषय :- निजी खातेदारी योजना " तिरुपति रेजीडेन्सी" ग्राम दर्जजर तह. व जिला जोधपुर के खसरा सं 145/14 में 12.5 प्रतिशत रहन रखे गये भूखण्डों को रहन मुक्त करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम दर्जजर तह. व जिला जोधपुर के खसरा सं 145/14 कुल रकबा 12.01 बीघा भूमि में तिरुपति रेजीडेन्सी आवासीय योजना में आपके द्वारा आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने पर प्राधिकरण स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा पर रहन रखे भूखण्ड सं 15 से 19, 75 से 80 को रहन मुक्त किया जाता है।

उपायुक्त (जोन-06)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Signature valid



Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.03.22 11:55:56 IST
Reason: Approved